



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 214 राँची, गुरुवार, 17 वैशाख, 1948 (श०)
7 मई, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

6 मई, 2026

अधिसूचना सं०-5/सं०भू० (दर निर्धारण)-186/2019-1171(5)/रा०, --मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 28.04.2026 में मद संख्या-14 के रूप में लिए गए निर्णय के आलोक में Non profitable/Charitable संस्थानों के पंजीकरण से संबंधित मामले हेतु विभागीय अधिसूचना सं०-3842/रा०, दिनांक-24.11.2023 की कंडिका-4(VI)(2) में अतिरिक्त संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, अतः उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-3842/रा०, दिनांक-24.11.2023 में निम्नवत् संशोधन/अन्तःस्थापन किया जाता है:-

नियम 4(VI)(2) (क) एवं (ख)

पूर्व में अंकित प्रावधान	अतिरिक्त उप कंडिका का अन्तःस्थापन
कंडिका-4(VI)(2)- Non profitable/Charitable संस्थानों से अभिप्राय उन संस्थानों से है जो The Companies Act, 1956 के Section-25 के अंतर्गत आवेदन की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो अथवा Charitable and Religious Trusts Act, 1920 के अंतर्गत Charitable Trust के रूपमें आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो।	कंडिका-4(VI) (2) (क):- “Charitable उद्देश्य की परिभाषा वही होगी, जैसा कि The Income Tax Act, 1961 की धारा-2(15) में परिभाषित किया गया है।
	कंडिका-4(VI) (2) (ख)- “Charitable उद्देश्य से कार्य करने वाले वैसी संस्थाएँ/Society/Trust, जो शैक्षणिक/स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकारी भूमि को रियायती दर पर लीज बंदोबस्ती के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, वैसी संस्थाओं/Society/Trust को Indian Trust Act, 1882 अथवा The Societies Registration Act, 1860 अथवा The Companies Act, 2013 के तहत आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व से पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

(2) यह संशोधन, इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

(3) विभागीय अधिसूचना सं०-3842/रा०, दिनांक-24.11.2023 के शेष प्रावधान तथा विभागीय कार्यालय आदेश सं०-956/रा०, दिनांक-22.03.2024 द्वारा निर्गत शुद्धि-पत्र में उल्लेखित शीर्ष यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमलाकांत गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।
